भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 238*

9 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: प्याज़ की कीमतें

238. श्री राहुल रमेश शेवलेः

डॉ. सुजय विखे पाटीलः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा व्यापारियों की लॉबी पर नियंत्रण रखने में अपनाए गये ढुलमुल रवैये तथा सरकार के अकुशल प्रशासन के कारण व्यापारियों की लॉबी द्वारा प्याज़ की कीमतों के संबंध में हेरफेर की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बाज़ार में प्याज़ की कीमतों में भारी गिरावट आई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का प्याज की कम मांग के समय के दौरान किसानों के बेहतर कीमत तथा प्याज की कम कीमत पर आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्याज की खरीद सीधे किसानों से किये जाने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का बेहतर कीमत प्राप्त करने हेतु प्याज के निर्यात की अनुमति देने का भी विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 'भारत में प्याज़ बाज़ारों का प्रतिस्पर्धी आकलन' नामक एक रिपोर्ट के अनुसार, प्याज के व्यापार पर व्यापारियों और बिचैलियों का एकतरफा नियंत्रण होता है और इससे उन्हें अत्यधिक लाभ हुआ है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा प्याज की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकने हेतु प्याज़ की कीमतों में व्यापारियों की लॉबी की भूमिका पर नियंत्रण करने और प्याज बाजार को विनियमित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(च) सरकार द्वारा किसानों को ऋण के बोझ से बचाने हेतु उन्हें लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिये अन्य क्या विभिन्न कदम उठाये गये हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>'प्याज़ की कीमतें' से संबंधित लोकसभा में दिनांक 09.07.2019 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 238 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) एवं **(ख)** कृषि विपणन राज्य का विषय है और कृषि जिंसों का थोक विपणन संबंधित राज्यों के विनियमों के तहत मंडियों में विनियमित किया जाता है। भारत सरकार इस संबंध में सहायता प्रदाता की भूमिका अदा करती है और उसने सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाने के लिए मॉडल कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम, 2017 परिचालित किया है। मॉडल एपीएलएम अधिनियम, 2017 में प्याज सहित शीघ्र खराब होने वाले फलों और सब्जियों का विनियमन करने का प्रावधान किया गया है। अभी तक 17 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा फसलों और सब्जियों को राज्य कृषि विपणन विनियमन के दायरे से विभिन्न रुपों में डी-रेग्युलेट किया गया है।

किसी भी निर्धारित समय पर प्याज सहित कृषि जिंसों की थोक कीमतें मांग और आपूर्ति से संबंधित बाजार के सामान्य स्रोतों, गुणवत्ता जिंसों के शीघ्र खराब होने और उस समय की मौसम की स्थिति जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। देश में प्याज का उत्पादन अधिकतर 3 मौसमों यथा- खरीफ पूर्व, खरीफ के बाद और रबी में अधिकांशत: 8 से 10 राज्यों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल पूरे वर्ष देश के सभी भागों में किया जाता है। कृषिगत उत्पादों की कीमतें उस समय अपेक्षाकृत कम हो जाती है जब उनकी कटाई के बाद मंडी में उनकी आपूर्ति पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है। तथापि, इसके बाद धीरे-धीरे उनकी कीमतों में वृद्धि होती जाती है। देश में अक्टूबर, 2018 से फरवरी, 2019 के दौरान प्याज की कीमतों में कमी आई और मार्च, 2019 के बाद धीरे-धीरे इसकी कीमतों में वृद्धि होती चली गई।

(ग) भारत सरकार ने मूल्य स्थरीकरण निधि (पीएसएफ) के तहत रबी मौसम 2019 के दौरान लगभग 60 हजार मैट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक रखने का निर्णय लिया है ताकि देश में प्याज की कमी वाले सीजन के दौरान मंडी में इसकी आवक बढ़ाकर उसके मूल्यों को संतुलित रखा जा सके। दिनांक 02.07.2019 की स्थिति के अनुसार पीएसएफ के तहत राष्ट्रीय भारतीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ (नैफेड) के जरिए लगभग 53000 मैट्रिक टन प्याज खरीदी गई थी।

(घ) देश में प्याज की घरेलू कीमतों को स्थिर रखने की जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो उसके निर्यात पर 'न्यूनतम निर्यात मूल्य' (एनइपी) लगाया जाता है। इस समय प्याज

के निर्यात पर किसी भी प्रकार की मात्रात्मक पाबंदी नहीं लगाई गई है। इसके साथ-साथ इस समय एमईपी लागू नहीं।

(ड.) एवं (च) कृषि विकास एवं ग्रामीण परिवर्तन केंद्र, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धी प्याज मंडी मूल्यांकन विषय पर एक अध्ययन किया गया था जो यह दावा करती है कि अधिकांश व्यापार कमीशन एजेंटों और व्यापारियों के हाथ में है।

सरकार, मंडी संबंधी सूचना में व्याप्त विषमता से निपटने के लिए कृषि विपणन सूचना नेटवर्क (एगमार्कनेट) पोर्टल के जरिए प्याज सहित कृषि जिंसों के बारे में मंडी सूचना प्रणाली को बढ़ावा दे रही है।

सरकार शीघ्र खराब हो जाने वाले जिंसों और प्याज सहित कृषि एवं बागवानी जिंसों की खरीद के लिए मंडी हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) चला रही है। एमआईएस का मूलभूत उद्देश्य यह है कि किसानों को फसलों का बंपर उत्पादन होने से मंडी में उनकी कीमतें आर्थिक स्तर से भी नीचे गिर जाने के कारण उन्हें अपनी जिंसों को बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। एमआईएस, केंद्र सरकार के साथ 50:50 के आधार पर (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75:25) नुकसान के बांटने के इच्छुक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विशेष अनुरोध पर कार्यान्वित की गई है।

सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाने और मंडी में उनके उत्पादों की कीमत स्थिर रखने के प्रयाजनार्थ भी कई कदम उठाए हैं जिसमें अन्य के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम), एग्रीगेशन एवं एकानामीक ऑफ स्केल हेतु किसानों का किसान उत्पादक संगठित करने (एफपीओ) के लिए प्रेरित करना, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) और कृषि विपणन अवंसरचना (एएमआई) आदि जैसी- विभिन्न सरकारी स्कीमों के जरिए फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन अवसंरचना के विकासार्थ सहायता शामिल है।

****